संख्या-49/2022/48412021-75(बजट)/2019

प्रेशक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनाक 11 फरवरी, 2022**

विषय-जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल में वे-फाइन्डिंग एवं ट्रैफिक सोल्यूशन की स्थापना आदि ,झांसी परिक्षेत्र में साइनेज की प्रचलित विभिन्न परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र सं0-1857/6-1-1(1033)/2018-19 , दिनांक 10 अगस्त , 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल में वे-फाइन्डिंग एवं ट्रैफिक सोल्यूशन की स्थापना आदि ,झांसी परिक्षेत्र में साइनेज की प्रचलित विभिन्न परियोजनाओं की अवशेष धनराशि एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने हेतु मद सं0-0603-साइनेज की व्यवस्था में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-300.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104 संवर्धन तथा प्रचार-0603-साइनेज की व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य **हेतु** संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020,शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231 /2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 : 3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश संलग्न बी0एम0-09 पर वित्त विभाग द्वारा आर0ई0सं0-370 /दस-2021, दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा दी गई सहमति क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

/

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7 ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।